<u>न्यायालय: –श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक</u> <u>मजिस्ट्रेट, अंजड् जिला –बड्वानी (म.प्र.)</u>

आपराधिक प्रकरण कमांक 143/2011 संस्थित दिनांक—29.03.2011

म.प्र. राज्य द्वारा—आरक्षी केन्द्र ठीकरी,जिला बड़वानी

..... अभियोगी

वि रू द्व

रियाज मोहम्मद उर्फ राजू पिता हबीबुल्लाह, उम्र 45 वर्ष, निवासी पानवाडी बड़वानी, हा.मु. कहार मोहल्ला निसरपुर तह.कुक्षी, जिला धार म.प्र.

...... अभियुक्त

| राज्य द्वारा | _ | श्री अकरम मंसूरी ए.डी.पी.पी.ओ. । |
|-----------------|---|----------------------------------|
| अभियुक्त द्वारा | _ | श्री आर.के.श्रीवास अधिवक्ता। |

_<u>--:: निर्णय ::--</u> (<u>आज दिनांक 17/02/2017 को घोषित</u>)

- 01. आरोपी के विरूद्ध पुलिस थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 35/11 के आधार पर दिनांक 04.03.11 को रात्रि 11:30 बजे स्थान ग्राम दवाना बड़वानी रोड़ पेट्रोल पंप के आगे पुलिया के पास में लोकमार्ग पर वाहन मारूति वेन क्रमांक एम.पी. 09 ए.बी. 4440 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर मानवजीवन संकटापन्न करने, प्रमिलाबाई, अनिता, गजेन्द्र, गोविन्द तथा मांगीलाल को गंभीर उपहित एवं भूरीबाई पित लुणाजी सिवीं की मृत्यु ऐसी परिस्थितियों में कारित करने जो आपराधिक मानववध की श्रेणी में नहीं आती है, के लिये भा.द.वि. की धारा—279, 337, 338, 304(ए) का आरोप हैं।
- **02.** प्ररकण स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था।
- 03. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 04.03.2011 को मांगीलाल, प्रमिलाबाई, मृतिका भूरीबाई, अनिता, गजेन्द्र, गोविन्द बड़वानी से प्रमिलाबाई को डिलेवारी केस होने से इंदौर एम्बूलेंस मारूति वेन कमांक एम.पी. 09 ए.बी. 4440 में बैठकर आ रहे थे कि करीबन 11:30 बजे रात्रि की बात है थी कि उक्त एम्बूलेंस कमांक एम.पी. 09 ए.बी. 4440 के चालक राजू उर्फ रियाज मोहम्मद के द्वारा मारूति वेन को तेजी एवं लापरवाही से दवाना के पहले पुलिया के पास खड़े द्रेक्टर ट्राली में टकरा दी जिससे मांगीलाल, प्रमिलाबाई, अनिता, गजेन्द्र, गोविन्द व भुरीबाई को चोट लगी व भूरीबाई की मृत्यु हो गयी। थाना ठीकरी पर अपराध कमांक 35/11 दर्ज कर मांगीलाल, प्रमिलाबाई का मेडिकल परीक्षण कराया तथा मृतिका भूरीबाई पति लुणजी के शव का परीक्षण कराया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध कर आरोपी से मारूति वेन कमांक एम.पी. 09 ए.बी. 4440 दस्तावेजों सहित जप्त की गई तथा आरोपी को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।

04. उक्त अनुसार आरोपी का भादिव की धारा—279, 337, 338, 304(ए) का अभियोग लगाये जाने पर आरोपी ने अपराध से इंकार कर विचारण चाहा, उसका अभिवाक् लिखा गया। दप्रस की धारा 313 के अंतर्गत किये गये परीक्षण में आरोपी ने स्वयं को निर्दोष होना बताया गया किन्तु बचाव में किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया।

05. <u>विचारणीय प्रश्न निम्न उत्पन्न होते है:-</u>

| ₮. | विचारणीय प्रश्न |
|----|---|
| 1 | क्या आरोपी ने दिनांक 04.03.11 को रात्रि 11:30 बजे स्थान ग्राम दवाना बड़वानी रोड़ पेद्रोल पंप के आगे पुलिया के पास में लोकमार्ग पर वाहन मारूति वेन कमांक एम.पी. 09 ए.बी. 4440 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर मजरूह मांगीलाल, प्रमिलाबाई, गोविंद, गजेन्द्र, अनिता का जीवन संकटापन्न किया? |
| 2 | क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त मारूति वेन कमांक एम.पी. 09 ए.बी. 4440 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर प्रमिलाबाई, गोविंद, गजेन्द्र एवं अनिता को उपहति कारित की? |
| 3 | क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त मारूति वेन कमांक एम.पी. 09 ए.बी. 4440 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर मांगीलाल को गंभीर उपहति कारित की? |
| 4 | क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त मारूति वेन क. एम.पी. 09—ए.बी. 4440 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर भूरीबाई पति लुणाजी की मृत्यु ऐसी परिस्थिति मे कारित की जो आपराधिक मानववध की श्रेणी में नहीं आती? |

—:<u>सकारण निष्कर्षः—</u>

विचारणीय प्रश्न कमांक 1,2,3 एवं 4 का निराकरण :-

- 06. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में मांगीलाल (असा.1), का कथन है कि वह 9—10 माह पहले अपनी भांजी प्रमिलाबाई को ईलाज के लिए मारूति वेन से इंदौर ले जा रहे थे। गोविन्द और गजेन्द्र भी थे। दवाना पेद्रोल पंप के पास उनका वाहन खेड़ द्रेक्टर द्राली से टकरा गया। उनके वाहन को कौन चला रहा था उसने नहीं देखा क्योंकि वह गाड़ी में पीछे की ओर बैठा था। दुर्घटना में भूरी बाई की मृत्यु हो गई थीं और अन्य व्यक्तों को भी चोटे आई थी। उसका ईलाज इंदौर में हुआ था। उक्त साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचन प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि न्यायालय में उपस्थित आरोपी उस दिन मारूति वेन चला रहा था। यहां तक की साक्षी ने प्रपी—1 का कथन पुलिस को देने से इंकार किया।
- 07. प्रमिलाबाई (असा.2), गजेन्द्र (असा.3), गोविंद (असा.4), कैलाश सिर्वी (असा.6), ने भी दुर्घटना में उन्हें चोट आने और भूरीबाई की मृत्यु होने के संबंध मे

कथन किये उक्त किसी भी साक्षी ने आरोपी द्वारा एम्बूलेंस चलाने और एम्बूलेंस का नंबर याद होने के संबंध में कथन नहीं किये हैं। उक्त साक्षीयों को पक्षविरोधी घोषित कर सूचन प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि घटना दिनांक को आरोपी एम्बूलेंस क्रमांक एमपी 09 एबी 4440 चला रहा था। यहां तक की साक्षीयों ने पुलिस को कथन देने से भी इंकार किया। गोविंद सिर्वी (असा.4), का यह भी कथन है कि वेन चालक को उसने पकड़ लिया था, लेकिन साक्षी ने उपस्थित आरोपी की पहचना वाहन चालक के रूप में नहीं की। कैलाश सिर्वी (असा.6), ने सफीना फॉर्म प्रपी—7 और लाश पंचायतनामा प्रपी—8 पर अपने हस्ताक्षर भी स्वीकार किये हैं।

- 08. डॉ. बी.एस. चौहान (असा.5) का कथन है कि दिनांक 05.03.11 को उसने सामुयादिक स्वास्थ्य केन्द्र ठीकरी पर कैलाश काग द्वारा मृत अवस्था पर लाने पर भूरीबाई की मृत्यु की सूचना थाना ठीकरी को दी थी तथा उसके शव का परीक्षण किया था। साक्षी ने उसकी थाने पर दी सूचना प्रपी—5 एवं शव परीक्षण प्रतिवेदन प्रपी—6 भी प्रमाणित किया हैं।
- 09. नन्दु (असा.8) का कथन है कि 5 वर्ष पूर्व वह मोटरसाईकल से ठीकरी से अंजड़ जा रहा था वहां कुछ व्यक्ति घायल पड़े थे तथा एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो वह अंजड आ गया। उक्त साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचन प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उनकी द्रेक्टर द्राली से एम्बूलेंस क्मांम एमपी 09 एबी 4440 लापरवाही से एम्बूलेंस चलाकर उनकी द्रेक्टर द्राली को टक्कर मार दी जिससे एम्बूलेंस में बैठी एक महिला की मृत्यु हो गई, शेष व्यक्ति घायल हो गये। यहां तक की साक्षी ने पुलिस को प्रपी—15 का कथन देने से भी इंकार किया है।
- बी.सी.तवर (असा.७), दिनांक 05.03.11 को थाना ठीकरी पर साम्यादिक 10. स्वास्थ्य केन्द्र ठीकरी से भूरीबाई के वाहन दुर्घटना से मृत्यु की सूचना प्राप्त होने से उसने सफीमा फॉर्म प्रपी-7 एवं शव पंचायतनामा प्रपी-8 बनाया जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने एम्बुलेंस क्रमांक एमपी 09 एबी 4440 के चालक के विरूद्ध प्रपी-10 का अपराध दर्ज किया जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसने फरियादी और साक्षीगण के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किये थे। उसने नन्दु के बताये अनुसार नक्शामौका प्रपी-11 का बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसने आरोपी के पेश करने पर मारूति वेन क्रमांक एमपी 09 एबी 4440 के दस्तावेज और आरोपी का द्वायविंग लायसेंस प्रपी—12 के अनुसार जप्त किया था। उसने उक्त मारूति वेन का नुकसानी पंचनामा प्रपी–14 का बनाया जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि द्रेक्टर द्राली के चालक ने द्रेक्टर को पंक्चर अवस्था में किनारे पर खेड़ होने का कोई संकेतक नहीं लगाया था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि किसी भी साक्षी ने एम्बुलेंस के चालक द्वारा तेजी एवं लापरवाही से एम्बुलेंस चलाने के संबंध में कथन नहीं किये थे, अथवा उसने असत्य विवेचना की हैं।
- 11. इस प्रकार स्पष्ट रूप से किसी भी अभियोजन साक्षी ने घटना दिनांक, स्थान और समय पर आरोपी द्वारा उक्त एम्बूलेंस क्रमांक एमपी 09 एबी 4440 को लोकमार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षपूर्ण तरिके से चलाकर उनका जीवन संकटापन्न करने, मांगीलाल को घोर उपहति, शेष साक्षी को उपहति कारित करने, भूरीबाई की

मृत्यु ऐसी परिस्थिति में कारित करने जो आपराधिक मानववध की श्रेणी में नहीं आता के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं यहां तक की आरोपी की पहचान भी नहीं की और दुर्घटना ग्रस्त एम्बूलेंस का नंबर भी नहीं बताया हैं। ऐसी स्थिति में आरोपी के विरूद्ध आरोपित अपराध या अन्य कोई अपराध प्रमाणित नहीं होता है, तथा उसके विरूद्ध कोई निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किया जा सकता।

- 12. उक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहूंचता है कि अभियोजन अपना मामला आरोपी के विरूद्ध संदेह से परे प्रमाणित करने मे पुर्णतः असफल रहा है।
- 13. अतः यह न्यायालय आरोपी रियाज मोहम्मद उर्फ राजू पिता हबीबुल्लाह, उम्र 45 वर्ष, निवासी पानवाडी बड़वानी हा.मु. कहार मोहल्ला निसरपुर तह.कुक्षी, जिला धार म.प्र. को भा.द.वि. की धारा—279, 337, 338, 304(ए) के अपराध से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित करता है ।
- 14. आरोपी के जमानत-मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं ।
- **15.** आरोपी का द.प्र.सं. की धारा—428 के अंतर्गत निरोध की अवधि का प्रमाण—पत्र बनाया जाए ।
- 16. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति वाहन मारूति वेन क्रमांक एमपी 09 ए.बी. 4440 उसके स्वामी को पूर्व से सुपुर्दगी पर दिया गया है, अतः सुपुर्दगीनामा बाद अपील अविध निरस्त समझा जाए, अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाए ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया । मेरे उद्बोधन पर टंकित किया ।

(श्रीमती वंदना राज पाण्ड्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड, जिला बडवानी म.प्र.

(श्रीमती वंदना राज पाण्ड्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.